



# कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक - 162/32-H-V

देहरादून, दिनांक 23, अक्टूबर, 2017 ।

## कार्यालय आदेश

“औद्योगिक निति संवर्धन विभाग” (DIPP) के द्वारा औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में Ease of Doing Business के अर्न्तगत Bussiness Reform Action Plan (BRAP) में निर्धारित 405 बिन्दुओं में से वन विभाग से सम्बंधित बिन्दुओं के अनुपालन में दिये गये निर्देशों के क्रम में किसी स्थल के निरीक्षण हेतु निरीक्षक का आवंटन तैयार की गयी कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के द्वारा किया जायेगा। इसी क्रम में बिन्दु संख्या 110 (Mandate that the same inspector will not inspect the same establishment twice consecutively) के अर्न्तगत किसी भी निरीक्षक अधिकारी द्वारा एक स्थल का निरीक्षण क्रमानुगत रूप से नहीं किया जायेगा। इस हेतु यह निर्देश दिया जाता है कि यदि पूर्व स्थल की दोबारा निरीक्षण की आवश्यकता होती है तो पूर्व निरीक्षक अधिकारी इसका निरीक्षण नहीं कर सकेगा उसके स्थान पर पूर्व अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक

उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :- 162(1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- 2-समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- 3-समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- 4-समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
- 5-समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।

(राजेन्द्र कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक

उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :- 162(2)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।

(राजेन्द्र कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक

उत्तराखण्ड, देहरादून।